लय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन

फर्द अहकाम

उनवान - मक्खनादेवी बनाम तहसीलदार हिण्डौन

अपील नामा० संख्या 3035 दि० 2/8/2008

कस्बा हिण्डौन

निर्णय दिनांक 4/2/2019

अपील अपीलान्टस की ओर से पेश कर दर्ज किया गया है कि अपीलान्टस के पूर्वज मिट्ठीलाल पुत्र जौहरी ने जरिए पंजीकृत सेलडीड दि० 18/11/1998 द्वारा कस्बा हिण्डौन मे स्थित हिस्सा 1/4 मे से 1/2 विक्रय किया गया। जिसका नामांतरकरण सं० 3035 दि० 2.8.08 के द्वारा प्रथम पक्ष विक्रेता मिट्ठीलाल पुत्र जौहरी का 1/4 हिस्सा का नामा० तस्दीक कर राजस्व रिकार्ड मे अमल कर दिया गया।

जिसकी साक्ष्य बाबत जमाबंदी सम्वत 2063-66 कस्बा हिण्डौन की प्रति, सेलडीड दि० 18/11/98 की छायाप्रति, नामांतरकरण सं० 3035 दि० 2/08/2008 की प्रमाणित प्रति पेश की है।

वाद-पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य से बखूबी नामांतरकरण में गलत हिस्सा का ~~नामा~~ तस्दीक होना पाया जाता है साथ वाद-पत्र में दर्ज सेटिलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों ने अपीलान्ट के पिता के नाम महीलाल के स्थान पर मिट्ठीलाल दर्ज करने का साक्ष्य/दस्तावेज नहीं पाया जाता है। अपील नामान्तरकरण रिमाण्ड तहसीलदार हिण्डौन के किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि नामान्तरकरण सं० 3035 पर नियमानुसार अपने स्तर विधिक कार्यवाही कर गुणावगुण के आधार पर फैसल करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

तहसीलदार हिण्डौन उक्त कार्यवाही 30 दिवस मे पूर्ण कर पालना रिपोर्ट भी भिजवावें।

यह निर्णय आज दिनांक 4/2/2019 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन